

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।

रामनगर थाना कांड सं0 377/23
सामान्य पंजी सं0 1279/23
सरकार बनाम अज्ञात

01.07.2025 पुकार की गई। सुचक अनुपस्थित है अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन संख्या 542/25 दिनांक 30.04.2025 को **सत्य सूत्रहीन** दिखाते हुए समर्पित किया उक्त के क्रम में सुचक को नोटिस जारी किया गया, जिसका तामिला संलग्न पत्रावली है, परंतु सुचक ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही कोई प्रतिवाद याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गई इस प्रकार सुचक का यह कृत्य प्रकट करता है कि वाद में उसे कोई रुचि नहीं है तथा वह वाद मे आगे कार्यवाही अग्रसर करना नहीं चाहता है। अतः अंतिम प्रतिवेदन संख्या 542/25 को न्यायहीन में स्वीकार किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु नियमानुसार अनुसार कार्यवाही करें।

लेखापित

अनु0न्या0दण्डा0